



दिनांक 01.04.2021

प्रेस विज्ञप्ति 01 / 21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आगरा/थाना सैंया

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,

- 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 31.03.2021 की रात्रि थाना सैंया व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नैक्सोन कट से पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी 1-रविन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आम्र्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सैंया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-197/2020 धारा 307/504 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सैंया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1- रविन्द्र निवासी ग्राम खरगपुर थाना कौलारी जनपद धौलपुर, राजस्थान।

बरामदगी—

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद इटावा / थाना इकदिल

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,
 - 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,
 - फर्जी ड्राइबिंग लाइसेन्स आदि बरामद

दिनांक 31.03 / 1.04.2021 की रात्रि थाना इकदिल व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनएच-2 स्थित एस0आर0एम0 कालेज के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गोपाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, फर्जी ड्राइविंग लाइसेन्स आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर हत्या व गैंगस्टर एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना इकदिल पर पंजीकृत मु0आ0सं0-120 / 2006 धारा 302 / 307 / 398 भादवि व मु0आ0सं0-141 / 2006 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इकदिल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—गोपाल निवासी सराय जलाल थाना इकदिल जनपद इटावा।

बरामदगी—:

1—01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

2—फर्जी ड्राइबिंग लाइसेन्स आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- अवैध शस्त्र फैकट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार,
- 17 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 10 कारतूस विभिन्न बोर
 - अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 31.03 / 01.04.2021 को थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम जौला से अवैध शस्त्र फैकट्री का संचालन कर रहे 01 अभियुक्त जमील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही पर 17 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 10 कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1— जमील निवासी ग्राम जौला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगीः—

1— 17 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 10 कारतूस विभिन्न बोर,

2—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि।

जनपद हापुड़/थाना बहादुरगढ़

- अवैध शस्त्र फैकट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार,
 - 13 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र,
 - 11 जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर,
- अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 31.03.2021 को थाना बहादुरगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र से अवैध शस्त्र फैकट्री का संचालन कर रहे 04 अभियुक्तों

1—इसरार 2—बीरबल 3—अफसार 4—मुन्नर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर 13 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 11 जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—इसरार निवासी ग्राम राधना थाना किठौर जनपद मेरठ।

2—बीरबल निवासी ग्राम ढकिया खादर थाना रहरा जनपद अमरोहा।

3—अफसार निवासी ग्राम ककरवा मिलक थाना नखासा जनपद सम्मल।

4—मुन्नर निवासी ग्राम अजराडा थाना मुन्डाली जनपद मेरठ।

बरामदगीः—

1—13 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र,

2—11 जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर,

3—शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर

- 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार,
- लगभग 75 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 01 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद)

दिनांक 31.03.2021 की रात्रि थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरयू पुलिया अण्डरपास सर्विस रोड से चेकिंग के दौरान 02 अवैध मादक पदार्थ तस्कर 1—रविन्द्र 2—राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के

कब्जे से लगभग 75 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—रविन्द्र निवासी मोहल्ला कच्चा कटरा थाना ऑवला जनपद बरेली।

2—राजेश कुमार निवासी परसेरा थाना बिसौली जनपद बदायूं।

बरामदगी:

1—लगभग 75 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलोग्राम अवैध अफीम |

जनपद बाराबंकी/थाना कुर्सी

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार,
- 09 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर,
- 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर,
- अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 01.04.2021 को थाना कुर्सी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिलहटी के जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहा अभियुक्त रामसेवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर 09 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद लखनऊ देहात व जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर लूट व शस्त्र अधिनियम के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कुर्सी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—रामसेवक निवासी नरायनपुर थाना इटौजा जनपद लखनऊ देहात।

बरामदगीः—

1—09 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि।

जनपद बागपत/थाना कोतवाली

- पुलिस कार्यवाही में दो अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,
- 50 पेटी अवैध शराब मय वाहन बरामद

दिनांक: 01—04—2021 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यमुना खादर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—सिकन्दर घायल हो गया, जिसे अन्य अभियुक्त 2—संदीप सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 50 पेटी अवैध शराब मय वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सिकन्दर निवासी एफ—346 एफ ब्लाक सावा डेरी नॉर्थ, थाना प्रहलादपुर, दिल्ली।
- 2—संदीप निवासी कनवा चौक नं0—03, सुसैरिया ढाका थाना मोतिहारी, बिहार।

बरामदगी

- 1— 50 पेटी अवैध शराब मय वाहन।
- 2— 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित व 01 खोखा कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना जसराना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को मृत्यु दण्ड की सजा)

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना जसराना पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376 एबी भादवि व 5 (i)(m)/6 पॉक्सो एकट में विचारण के उपरान्त धारा 5 (i)(m)/6 पॉक्सो एकट में अभियुक्त नीरज को मृत्यु दण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

जनपद बदायूं/थाना सिविल लाइन(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तो को 20—20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30—30 हजार रु० के अर्थदण्ड)

जनपद बदायूं पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट जनपद बदायूं द्वारा थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 342/376 घ भादवि व 5/6 पॉक्सो एकट में विचारण के उपरान्त अभियुक्त 1—फकरे आलम 2—विजय को 20—20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30—30 हजार रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुख्यालय स्तर से समय—समय पर अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में अवैध शराब के विरुद्ध प्रदेश में दिनांक 07.03.2021 से अभियान चलाकर कार्यवाही प्रचलित है। दिनांक 31.03.2021 तक कृत कार्यवाही की विवरण निम्नवत है।

अवैध शराब / भट्टियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

बरामदगी / कृत कार्यवाही (बिन्दु)	संख्या
बरामद कुल अवैध शराब	4,67,377.44 लीटर
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या(अवैध शराब)	12,534
बरामद अवैध शराब भट्टियों की संख्या	1821
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या(अवैध शराब भट्टी)	1822